भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 312

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की स्थिति

312. डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर झारखंड में कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई योजनाएं/परियोजनाएं/पहल शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं/पहलों के लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ड) क्या सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों, रोजगार पोर्टलों और ऐसे अन्य आयोजनों/कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो विशेषकर झारखंड के संथाल परगना के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, निम्नानुसार था:

(% में)

वर्ष	ग्रामीण	योग
2021-22	55.6	52.9
2022-23	59.4	56.0
2023-24	62.1	58.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह एक असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर पंजीकरण करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार के साथ जुड़े प्रवासी कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और ऐसे श्रमिकों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। इस पोर्टल पर दिनांक 28.01.2026 तक 31.48 करोड़ कामगारों ने पंजीकरण कराया है।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

रोजगार मेला युवाओं के बीच रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

रोजगार मेलों का मुख्य उद्देश्य रोजगार चाहने वालों और स्थानीय नियोक्ताओं के बीच संपर्क को सरल बनाना है, ताकि स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस तरह के मेले स्थानीय श्रम बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के तहत झारखंड में अब तक कुल 2359 रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 9141 नियोक्ताओं ने भाग लिया है। एनसीएस पोर्टल पर अंतिम भर्ती के आंकड़ों को अधिसूचित करना अनिवार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से नौकरी खोज और मिलान, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल को ई-श्रम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो 31.48 करोड़ असंगठित कामगारों का डेटाबेस है। इस एकीकरण के माध्यम से, ई-श्रम पंजीकृत व्यक्ति एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मंत्रालय ने प्रतिष्ठित और शीर्ष कंपनियों में रोजगार अवसरों को पहचानने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए, जॉब पोर्टलों, प्लेसमेंट संगठनों और प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे निजी भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन झारखंड सहित देश भर में युवाओं के लिए रोजगार के विविध अवसरों तक पहुंच का विस्तार करने में सहायक रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार ने एनसीएस परियोजना के तहत राज्यों/संस्थानों के सहयोग से देश भर में 407 मॉडल करियर केन्द्रों (एमसीसी) को अनुमोदित किया है। ये केंद्र स्थानीय युवाओं और अन्य रोजगार चाहने वालों को करियर परामर्श और प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार मेलों और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से रोजगार अवसरों से जोड़ते हैं।

*****